कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड, देहरादून।

पत्रांक 740 /म0दे0वि0प्रा0/नि0अनु0/का0आ0/2019 दिनांक 21 दिसम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों के संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 39/V–2–2019–55(आ0)/2006 आवास अनुभाग–2, दिनांक 05–02–2019 निर्गत किया गया है।

शासनादेश के बिन्दु संख्या–2.5(1) के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत फुटहिल क्षेत्र का निर्धारण प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 18–11–2019 के अनुपूरक विषय क्रमांक–03 के अनुसार दूनघाटी महायोजना–2031 के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को फुटहिल क्षेत्र में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

1– सहसपुर सेक्टर सीमा के पश्चात शीतला नदी के उत्तरी क्षेत्र व लांघा–डाकपत्थर मार्ग का पूर्वी क्षेत्र।
2– भाऊवाला से तिलवाड़ी जाने वाले मार्ग व सुसवा नदी का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र।
3– सौंग नदी के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो कि थानों जौलीग्रांट मार्ग के उत्तरी पूर्वी भाग में है।
4– थानों–रानीपोखरी मार्ग तत्पश्चात रानीपोखरी सेक्टर सीमा के पश्चात पूर्वी क्षेत्र, विकास क्षेत्र सीमा तक।

अतः बोर्ड बैठक दिनांक 18–11–2019 के अनुपूरक विषय क्रमांक–03 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त क्षेत्र में फुटहिल क्षेत्र के बायलॉज लागू होंगे। तद्नुसार ही सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण किया जाय।

(डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

प्रतिलिपि–
1. सचिव(एस)/सचिव(डी)/संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0।
2. अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0
3. समस्त सहायक अभियंता/अनु सचिव/अवर अभियंता, म0दे0वि0प्रा0।
4. मुख्य लिपिक एवं समस्त मानचित्र एवं वाद लिपिक, म0दे0वि0प्रा0
5. गार्ड फाइल हेतु।

21/12/19
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
ट्रान्सपोर्टनगर, सहारनपुर रोड़, देहरादून।

पत्रांक 387 /मदेविप्रा0/नि0अनु0/का0आ0/2019 दिनांक 19/8/19

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (2015) में निहित मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 39/V-2-2019-55(आ0)/2006 आवास अनुभाग-2 दिनांक 05.2.2019 निर्गत किया गया है ।

शासनादेश के बिन्दु-2.5(1) के अनुसार फुटहिल क्षेत्र-देहरादून जनपद में फुटहिल क्षेत्र का निर्धारण किया गया है । फुटहिल क्षेत्र का निर्धारण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया जाना है । अतः निम्नानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

1- टोंस नदी के उत्तर की ओर एवं डूंगा को जाने वाले मार्ग का पूरब के ओर का क्षेत्र ।

2- मसूरी डायवर्जन मार्ग पर जोहड़ी मार्ग जो कि महायोजना में 24.0 मीटर प्रस्तावित है व सप्लाई को जाता है, इस मार्ग का उत्तरी क्षेत्र ।

3- नये व पुराने मसूरी डायवर्जन मार्ग के मध्य का क्षेत्र ।

4- राजपुर रोड पर मसूरी डायवर्जन मार्ग व राजपुर मार्ग से इन्दरबाबा मार्ग होते हुए धोरन पुल के उपरान्त आई0टी0पार्क0 से सहस्रधारा मार्ग तत्पश्चात बाल्दी नदी के पश्चिमी किनारे पर प्राधिकरण सीमा नदी किनारे तक ।

5- बाल्दी नदी व सोंग नदी के मध्य का क्षेत्र ।

कोई विरोधाभास उत्पन्न होने पर महायोजना में चिन्हित क्षेत्र मान्य होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड दिनांक 24.6.2019 में सम्पन्न हुई प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव विषय कमांक-20 पर बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा गया । प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

अतः बोर्ड के निर्णयानुसार उक्त क्षेत्र में फुटहिल क्षेत्र के बायलॉज लागू होंगे । तदानुसार समस्त पत्रावलियों निस्तारण किया जाये ।

(डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।

प्रतिलिपिः-

1. सचिव/संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0 ।
2. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 ।
3. समस्त सहायक अभियन्ता/अनु सचिव/अवर अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 ।
4. मुख्य लिपिक एवं समस्त मानचित्र एवं वाद लिपिक, म0दे0वि0प्रा0 ।
5. गार्ड फाईल हेतु ।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।